

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 5, 2014/माघ 16, 1935

No. 56]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2014/MAGHA 16, 1935

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 79(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय में महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, महानिदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन एवं वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन एवं वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-बैंड और वेतनमान या ग्रेड वेतन	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
महानिदेशक	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', (राजपत्रित) गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. तथा ग्रेड वेतन 10000 रु.	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों	प्रोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति एवं आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति एवं आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
--	---	--	--

की प्रतिशतता			किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सहित) या संविदा आधार पर	I. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सांविधिक और स्वायत्त संगठनों के अंतर्गत वे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतनबैंड 4 (37400-67000/- रु.) और 8700/-रु. के ग्रेड-वेतन या समतुल्य के पद पर नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो: और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला या कला इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि; और (ii) ललित कला या कला इतिहास के एक अथवा अधिक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य सहित 15 वर्षों का अनुभव जिसमें से पांच वर्षों का अनुभव प्रशासन के क्षेत्र में होना चाहिए। वांछनीय : i. ललित कला या कला इतिहास में पीएचडी। ii. प्रकाशन या प्रदर्शनी में प्रतिभागिता और अध्येतावृत्ति	समूह का विभागीय प्रोन्नति समिति [प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या संविदा आधार पर विचार करने हेतु] निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. मंत्रिमंडल सचिव —अध्यक्ष प्रधानमंत्री के प्रधान-सचिव —सदस्य सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग —सदस्य 4. सचिव (संस्कृति) —सदस्य 5. संस्कृति मंत्रालय द्वारा संस्तुत पांच विशेषज्ञों में से प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले संबंधित क्षेत्रों अर्थात् संग्रहालय या वीथि प्रबंधन और आधुनिक एवं समकालीन कला और ललित कला से लिए गए तीन विशेषज्ञ —सदस्य टिप्पण:- खोज-सह-चयन समिति ऐसी नम्य पद्धति अपनायेगी जो	लागू नहीं होता

	का प्रमाणित रिकार्ड। टिप्पण : 1. विभागीय निदेशक, जो इस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ पी.बी. 4. ग्रेड वेतन 8700 रु. में है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हैं, पर भी बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा। टिप्पण : 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (II) संविदा के आधार पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उपरोक्त मद 1 ख (i) और (ii) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। टिप्पण -1 संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 67 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2 संविदा के आधार पर नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा इसे संतोषप्रद कार्य निष्पादन के अध्यधीन अधिकतम 70 वर्ष की आयु-सीमा तक बढ़ाई जा सकती है।	वह संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों का पता लगाने और उनके नामों पर विचार करने के लिए उचित समझे।	
--	--	---	--

	टिप्पण-3 संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामले में, पदधारी की सेवा के निबंधन और शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के सदृश पदधारण करने वाले समूह 'क' के अधिकारी पर लागू होती है।		
--	---	--	--

[फा. सं. 17-24/2009-एम-1]

प्रमोद जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

G.S.R. 79(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director- General, National Gallery of Modern Art, New Delhi in the Ministry of Culture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Director-General, National Gallery of Modern Art, New Delhi Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale--- The number of the said post their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band, Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director-General	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' (Gazetted) Non- Ministerial	Pay Band-4: Rs. 37400-67000 Grade Pay Rs. 10000	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion or Deputation (Including Short Term Contract) or on Contract basis	I. Deputation (Including Short Term Contract) Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Universities or recognized research institutions or statutory and autonomous organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band 4 (Rs. 37400-67000) with Grade Pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or department;	Group 'A' Departmental Promotion Committee [for considering promotion, deputation (including short-term contract) or contract basis] consisting of — 1. Cabinet Secretary —Chairman 2. Principal Secretary to the Prime Minister —Member 3. Secretary, Department of Personnel and Training —Member 4. Secretary (Culture) —Member 5. Three experts drawn from the relevant fields i.e. Museum or Gallery Management and expertise in Modern and Contemporary Art and Fine Art, to be nominated by the Prime Minister, from amongst five experts recommended by the Minister of Culture —Members Note :— The Search-cum-Selection Committee shall adopt such flexible procedure as it deems fit for seeking out and considering names of persons of outstanding ability in the respective field.	Not applicable.
	(b) Possessing the Educational Qualifications and experience as under: (i) Master's degree in Fine Arts or History of Art from a recognized University, and		

	(ii) 15 years' experience including research work in one or more of the fields of Fine Art or History of Art out of which five years' experience should be in administrative matters. Desirable: (i) Ph. D. in Fine Arts or History of Arts. (ii) Proven record of Publication or Exhibition participations and Fellowships Note 1 : The Departmental Director in PB-4 Grade Pay Rs. 8700 with three years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date for receipt of applications. <u>II. On Contract basis</u> Persons possessing educational qualifications and experience as specified in item I(b) (i) and (ii) above for appointment by deputation. Note 1: The maximum age limit for appointment on contract basis shall not exceed sixty seven years as on the closing date for receipt of applications. Note 2: Appointment on contract basis shall be for a period of three years and may be extended subject to age limit of seventy years and satisfactory performance. Note 3: In case of appointment on contract basis, the terms and conditions of service of the incumbent of the post shall be as applicable to a Group A officer of the Central Government holding analogous post.		
--	--	--	--

[F. No. 17-24/2009-M-I]
PRAMOD JAIN, Jt. Secy.